न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 64/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण

1. भगवानाराम पुत्र कानाराम
2. तुलछाराम पुत्र कानाराम

जाति ढोली निवासी उदट
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. पेमाराम पुत्र गोपाराम
2. भगवानाराम पुत्र गोपाराम
3. भंवराराम पुत्र गोपाराम
4. सवाईराम पुत्र गोपाराम
5. पूनाराम पुत्र खेमाराम
6. हमीरराम पुत्र मूलाराम
7. चैनाराम पुत्र मूलाराम

जाति ढोली निवासी उदट
तहसील बाप जिला जोधपुर

8. श्रीमान तहसीलदार, बाप

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 7

निर्णय

दिनांकः– 14.12.2022

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 169/6 रकबा 4.6134 हैक्टेयर, प्रार्थी सं. 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 169/1 रकबा 4.6134 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 169/5 रकबा 4.6215 हैक्टेयर ग्राम उदट पटवार क्षेत्र लूणा तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। वर्तमान जमाबंदी संलग्न प्रार्थन पत्र प्रस्तुत है। उक्त वादग्रस्त भूमि का पूर्व खातेदारों के मध्य आपसी सहमति का एक बंटवाड़ा दिनांक 20/04/92 को तहसीलदार फलोदी समक्ष उपस्थित होकर किया गया था उक्त आपसी सहमति के बंटवाड़ा में खातेदारों के कब्जा अनुसार खातेदारी नक्शा तैयार कर पेश किया गया जिसको तहसीलदार फलोदी के द्वारा तसदीक किया गया है। उक्त बंटवाड़ा अनुसार प्रार्थीगण का दिनांक 20/04/92 को तहसीलदार फलोदी के तसदीकशुदा बंटवाड़ा अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि में अपनी अलग–अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके व पुशओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण अपने–अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:46 IST
Reason: SelfAttested

के चारों तरफ खूंटे रोप कर तारबन्दी कर रखी है एवं प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 5.4794 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 5 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 169/2 रकबा 13.8483 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 6 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 169/3 रकबा 6.9201 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी सं. 7 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 169/4 रकबा 6.9201 हैक्टेयर ग्राम उदट पटवार क्षेत्र उदट तहसील बाप में स्थित है और दिनांक 20/04/92 को तहसीलदार फलोदी के तस्दीकसुदा बंटवाड़ा अनुसार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 का मौके पर कब्जा व काश्त है लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर दिनांक 20/04/92 को तहसीलदार फलोदी द्वारा तस्दीकसुदा बंटवाड़ा के विपरीत तरमीम करवा दी है जो सरासर गलत है। उक्त तरमीम पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आऐ वगैर अपने कार्यालय में बैठ कर की गई है जो दिनांक 20/04/92 को तहसीलदार फलोदी द्वारा तस्दीकसुदा बंटवाड़ा के विपरीत है इसलिये प्रार्थीगण ग्राम उदट पटवार क्षेत्र लूणा तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 169/6 रकबा 4.6134 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/1 रकबा 4.6134 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 169/5 रकबा 4.6215 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 5.4794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/2 रकबा 13.8483 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/3 रकबा 6.9201 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 169/4 रकबा 6.9201 हैक्टेयर की सेग्रीकेशन योजना में खातेदारों के दिनांक 20/04/92 को तहसीलदार फलोदी के तस्दीकसुदा बंटवाड़ा के विपरीत की गई तरमीम को निरस्त करवा कर दिनांक 20/04/92 को तहसीलदार फलोदी द्वारा तस्दीकसुदा बंटवाड़ा अनुसार अपनी तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 की तरमीम करवाने के अधिकारी है जिस बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की और से अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 जवाब पेश नहीं करना चाहते है इनका जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की गई।

अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र निम्नानुसार है–

प्रार्थीगण 1 व 2 का ग्राम उदट के खेत खसरा नम्बर 169/6 रकबा 4.6134 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/1 रकबा 4.6134 हैक्टेयर व 169/5 रकबा 4.6215 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है जिस पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति बंटवाड़ा दिनांक 20.04.1992 को तस्दीक हुआ। जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का खेत खसरा का बट्टा नम्बर अलग–अलग दर्ज हो गया। जो कि वर्तमान में भी बट्टा नम्बर अलग–अलग है। प्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 क्रम संख्या क्रमांक/831 दिनांक 22.12.2010 को लूणा में तस्दीक हुआ। जिससे प्रार्थीगण 1 व 2 के मध्य बट्टा नम्बर दर्ज हुआ जो कि पूर्व बंटवाड़ा 20.04.1992 में प्रार्थीगण की तरमीम दिशा से भिन्न दिशा में दर्ज हुई। जो कि मूल ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड कलेक्टर बाप (जोधपुर)

विभाजन नामान्तरण की सत्यापित संलग्न है। वर्तमान मौका कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कब्जा काश्त है।

बहस उभय पक्षकारान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सुनी गयी।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम ग्राम उदट पटवार क्षेत्र लूणा तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 169/6 रकबा 4.6134 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/1 रकबा 4.6134 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 169/5 रकबा 4.6215 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 5.4794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/2 रकबा 13.8483 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/3 रकबा 6.9201 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 169/4 रकबा 6.9201 हैक्टेयर भूमि की नक्शा ट्रेस में दिनांक 20.04.1992 को तहसीलदार फलोदी में हुवे तस्दीकसुदा बंटवाडा के विपरित सेग्रीगेशन योजना के तहत की गई। उक्त तरमीम को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने भी दुरूस्त किये जाने में सहमति जताई है। पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 20.04.1992, तहसीलदार बाप की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम माफिक बंटवाड़ा नहीं होने से दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर दिनांक 20.04.1992 हुवे तस्दीकसुदा बंटवाड़ा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम उदट पटवार क्षेत्र लूणा तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 169/6 रकबा 4.6134 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/1 रकबा 4.6134 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 169/5 रकबा 4.6215 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 5.4794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/2 रकबा 13.8483 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169/3 रकबा 6.9201 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 169/4 रकबा 6.9201 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर दिनांक 20.04.1992 को हुवे तस्दीकसुदा बंटवाड़ा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार घंटियाली दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:55:46 IS
Reason: SelfAttested

(मागीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)